संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग– 2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या :– CG-010/2021

1.	परियोजना/स्कीम का स्थान	जियो ऑप्टीकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु।
I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ
II	जिला	धमतरी
III	वन प्रभाग	धमतरी वनमंडल
IV	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	3.786 हे.
V	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन, संरक्षित वन, राजस्व वन
VI	हरियाली का घनत्व	0.4 से 0.6
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध मं एफ. आर.एल.,एफ.एफ.आर.एल.–2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए ।	यह प्रस्ताव सड़क के राइट ऑफ वे के अंतर्गत भूमिगत जियो ऑप्टीकल फायबर केबल बिछाने के लिये है। इसमें किसी भी प्रकार से वृक्ष विदोहन का कार्य नही किया जायेगा।
VIII	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण की संभावना कम है।
IX	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वनेत्तर भूमि वन सीमा के अंदर हैं।
X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व , हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग नहीं हैं।
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	**वनस्पति का नाम** / **प्राणीजात का नाम** दुर्लभ: विरायता, सतावर, सफेद मुसली, काली मुसली, चरोटा संकटापन्न: चार, तेन्दु, हर्रा, आंवला, भुई नीम, अमलतास, गुड़सुकड़ी, पुरूषरत्न, नागरमोथा, कुंदरूकंद, बैचांदी, वन प्याज, भेजवा, गायपार, तिनपनिया, बड़े दशमूल, गेंजी कंद, करू कंद, किरिंज कंद प्राणीजात दुर्लभ: भालू, तेन्दुआ, चीतल, लोमड़ी, जंगली सुअर, बंदर, खरगोश, लकड़बगधा प्राणीजात संकटापन्न: तेन्दुआ
XII	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नही हैं।

2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 मे प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो	प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता जियो ऑप्टीकल फायबर केबल बिछाने के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नही) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारीयों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	हॉ, प्रकरण में बिना स्वीकृति प्राप्त किये रकबा 0.0004 हे. वनक्षेत्र में कार्य कर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। उल्लंघन के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 36A में संलग्न है। वर्तमान में प्रकरण अंतर्गत वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं चल रहा है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	प्रस्तावित वनभूमि की माँग सडक के राईट–ऑफ–वे के अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु की जा रही है, जिसमें Ministry of Environment and Forest (FC Divison) letter no. F.No. 11-9/98-FC Dt. 16.10.2000 एवं 15.06.2004 के पत्र अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण में छूट का प्रावधान है। **अतः प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता नहीं है।**
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यनवयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	
IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	
5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 1 (XI,XII), 2 और 3 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)	पेज नंबर 44 में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
6.	विभाग/जिला प्रोफाईल	
I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	408193.000 हेक्टेयर
II	जिले का वनक्षेत्र	
	आरक्षित वन	205632.000 हेक्टेयर
	संरक्षित वन	6922.000 हेक्टेयर
	असीमांकित वन	–
	योग :–	212554.000 हेक्टेयर
III	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	17 प्रकरण रकबा 587.397 हेक्टेयर
IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	1223.442 हेक्टेयर
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	निरंक
(ख)	वनेत्तर भूमि पर ।	89.044 हे0
V	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :–	
	क. वनभूमि पर	1134.398 हे0
	ख. वेनेत्तर भूमि पर	89.044 हे0

7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	इस वनमंडल के अंतर्गत विभिन्न गांवों को दूरसंचार व्यवस्था से जोड़ने के लिये तथा जनहित में उपयोगी होने के कारण प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : 16/09/2022
स्थान : धमतरी

मयंक अग्रवाल (भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमण्डल धमतरी

वन मंडलाधिकारी,
धमतरी वन मण्डल, धमतरी

निरीक्षण टीप दिनांक 08/09/2022

(भाग 2 के बिन्दु क्रमांक 5)

- प्रस्तावित परियोजना का नाम – जियो ऑप्टीकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु।
- परियोजना में प्रभावित वनभूमि – **3.786** हेक्टेयर
- पंजीयन क्रमांक/दिनांक – **क्रमांक–FP/CG/OFC/45153/2020**
- परियोजना में प्रभावित स्थल का विवरण –

वन का प्रकार	रकबा (हे.)
आरक्षित वन	**3.456**
संरक्षित वन	**0.153**
राजस्व वन क्षेत्र	**0.177**
योग :–	**3.786**

- प्रस्तावित क्षेत्र का वन घनत्व – 0.4 से 0.6
- प्रस्तावित क्षेत्र वन की साईट क्वालिटी– III से IV
- प्रस्तावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का विवरण –

Ministry of Environment and Forest (FC Divison) letter no. F.No. 11-9/98-FC Dt. 16.10.2000 एवं 15.06.2004 के पत्र अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण में छूट का प्रावधान है।

अतः प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता नहीं है।

भाग 2 के कॉलम नं. 1 (XI, XII), 2 और 3 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए टीप–

धमतरी वनमंडल के दुगली वन परिक्षेत्र अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य (जियो ऑप्टीकल फायबर केबल बिछाने कार्य) हेतु प्रस्तावित वनभूमि के आस –पास दुर्लभ, संकटापन्न प्रजाति के वनस्पति एवं प्राणिजात पाये जाते, जिसका विवरण पेज नं. 41 में है। प्रस्तावित स्थल में किसी प्रकार का पुरातत्वीय, पारंपरिक स्थल, रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है। प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता जियो ऑप्टीकल फायबर केबल बिछाने कार्य के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। आवेदित स्थल में बिना स्वीकृति प्राप्त किये रकबा 0.0004 हे. वनक्षेत्र में कार्य कर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। उल्लंघन के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 36A में संलग्न है।

मयंक अग्रवाल (भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमण्डल, धमतरी

वन मंडलाधिकारी,
धमतरी वन मण्डल, धमतरी